अकबर के शासन-सम्बन्धी सिद्धान्त—अकबर न केवल एक महान् विजेता वरन् एक कुशल शासक भी था। स्मिथ महोदय ने उसकी प्रशासकीय प्रतिभा तथा उसके शासन-सम्बन्धी सिद्धान्तों की प्रशंसा करते हुए लिखा है—"अकबर में संगठन को अलौकिक प्रतिभा थी। प्रशासकीय क्षेत्र में उसकी मौलिकता इस बात में पायी जाती है कि उसने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया कि हिन्दुओं तथा मुसलमानों के साथ समान व्यवहार होना चाहिये।"[1] उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी। शासन के सिद्धांतों के समझने की उसमें विलक्षण प्रतिभा थी। अकबर के शासन सम्बन्धी निम्न-लिखित सिद्धान्त थे :—

(१) न्याय तथा सहिष्णुता—अकबर के शासन का भवन न्याय तथा सहि-ष्णुता की नींव पर बनाया गया था। वह बड़ा ही दूरदर्शी शासक था और जानता था कि वह शासन जिसका आधार न्याय तथा प्रजा का कल्याण होता है, स्थायी होता है। वह अपनी हिन्दू तथा मुसलमान प्रजा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता था और दोनों के कल्याण की समान रूप से चिन्ता किया करता था। इसी से डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, "उन सभी मुसलमान सम्राटों में जिन्होंने भारत में राज-दण्ड को ग्रहण किया, अकबर धार्मिक सहिष्णुता का सबसे बड़ा

Scanned with CamScanner

समर्थक था।"[1]

(२) धार्मिक स्वतन्त्रता—अकबर के शासन का दूसरा सिद्धांत यह था कि उसने सभी धर्मों तथा सम्प्रदायों को पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता दे रक्खी थी। अकबर बड़ा ही उदार तथा व्यापक दृष्टिकोण का शासक था। वह ऐसे विशाल साम्राज्य का शासक था जिसमें भिन्न-भिन्न जातियाँ निवास करती थीं और जिनके धार्मिक विचारों तथा आचार-व्यवहारों में महान् अन्तर था। अकबर ने अपनी सम्पूर्ण प्रजा को धार्मिक स्वतन्त्रता दे रक्खी थी और वह स्वयं सभी धार्मिक विचारों का आदर करता था। धार्मिक मामलों में अकबर ने 'सुलह कुल' की नीति का अनुसरण किया था। इस नीति की प्रशंसा करते हुए डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है "सुलहकुल" की नीति ने साम्राज्य की जड़ों को उसकी प्रजा के हृदय के भीतर जमा दिया।"[2]

(३) योग्यता तथा प्रतिभा का आदर—अकबर बड़ा ही गुणग्राही सम्राट था। वह योग्य तथा प्रतिभाशाली हिन्दुओं तथा मुसलमानों को राज्य में ऊँचे-ऊँचे पद दिया करता था। इस प्रकार सरकारी नौकरियों का द्वार उसने अपनी सभी योग्य प्रजा के लिए खोल दिया। सारांश यह है कि उसकी सभी प्रजा को अपनी योग्यता तथा प्रतिभा के परिचय देने का अवसर प्राप्त था।

(४) विजित शत्रुओं के साथ उदारता तथा सहानुभूति—अकबर की उदारता तथा सहानुभूति न केवल अपनी प्रजा तक ही सीमित था वरन् वह पराजित शत्रुओं के साथ भी बड़ी उदारता तथा सहानुभूति दिखलाता था। यही कारण था कि उसके शत्रु भी उसके परम मित्र बन जाते थे और साम्राज्य के सच्चे सेवक हो जाते थे।

(५) प्रजा का कल्याण—शेरशाह की भाँति अकबर ने भी प्रजा के हित को अपने शासन का आधार बना रखा था। सम्राट अकबर यह समझता था कि शासक तथा प्रजा के हित में अविच्छिन्न सम्बन्ध है। वह इस तथ्य को भली-भाँति समझ गया था की प्रजा के हित में राज्य का हित निहित है और जितनी ही संतुष्ट उसकी प्रजा होगी, उतना ही अधिक स्थायी उसका राज्य होगा। लोक-हितैषी शासन-व्यवस्था टिकाऊ होती है, परन्तु सैन्य-बल से स्थापित की हुई शासन-व्यवस्था अस्थिर होती है। लोक-हितैषी होने के कारण ही अकबर की शासन-व्यवस्था औरंगजेब के समय तक चलती रही।

(६) लौकिक शासन—अकबर ने अपने शासन-प्रबन्ध में उस सिद्धान्त का अनुसरण किया जिसका सूत्रपात बलबन ने किया था और जिसका अनुमोदन तथा परिवर्द्धन अलाउद्दीन खिलजी तथा मुहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अकबर ने

अपने शासन-प्रबन्ध को संकीर्ण विचार वाले धर्मान्ध धर्माचार्यों के प्रभाव से दूषित नहीं होने दिया। उसने राजनीतिक को धार्मिक प्रभावों से बिल्कुल मुक्त रक्खा। वह शासन के कार्यों में उलेमा लोगों की परामर्श नहीं लेता था और प्रजा के हित को वह धर्माचार्यों के हितों से ऊपर रखता था। प्रजा अथवा राज्य के हित में वह धार्मिक कार्यों के लिए दी हुई भूमि के छीनने में लेश-मात्र संकोच नहीं करता था।

(७) सैनिक तथा असैनिक कार्यों में समन्वय—अकबर के शासन का एक यह भी सिद्धान्त था कि वह शासन के पदाधिकारियों को प्रायः रणक्षेत्र में भी भेज दिया करता था। इस प्रकार यद्यपि राजा टोडरमल का प्रधान कार्य भूमि का प्रबन्ध करना था परन्तु वह कई युद्धों में सेनापति भी बना कर भेजे गये थे। इसी प्रकार बीरबल भी जो प्रधानतः सम्राट के मनोविनोद के लिए थे, सेनापति बना कर भेजे गये थे। शक्ति संतुलन के ध्येय से सम्राट प्रायः दो सेनापतियों को भेजा करता था।

केन्द्रीय शासन—अकबर के शासन सम्बन्धी सिद्धान्तों का उल्लेख कर देने के उपरान्त उसके शासन के क्रियात्मक स्वरूप का संक्षिप्त परिचय दे देना आवश्यक है। अकबर के केन्द्रीय शासन की रूपरेखा निम्नांकित थी :—

(१) उदार-स्वेच्छाचारी शासन—अकबर का शासन स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश राजतन्त्र था। परन्तु चूंकि सम्राट प्रजा के हित को सर्वोपरि रखता था अतएव हम उसे उदार स्वेच्छाचारी शासन कह सकते हैं। अकबर का शासन केन्द्रीय-भूत था और साम्राज्य की सारी शक्तियाँ सम्राट में ही केन्द्रीभूत थीं। सम्राट ही राज्य का प्रधान था और सम्पूर्ण सैनिक तथा प्रशासकीय व्यवस्था का वह स्वयं सर्वोच्च पदाधिकारी था। उसके अधिकार असीमित तथा अनियंत्रित थे। यद्यपि वह स्वेच्छा-चारी तथा निरंकुश शासक था, परन्तु प्रजा के कल्याण की वह सदैव चिन्ता किया करता था।

(२) मन्त्री तथा परामर्शदाता—यद्यपि आधुनिक काल की भाँति सम्राट अकबर का कोई मन्त्रिमण्डल न था, परन्तु उसे परामर्श देने के लिए अनेक मन्त्री तथा परामर्शदाता होते थे। सम्राट इन मन्त्रियों तथा परामर्शदाताओं को रखने तथा उनके परामर्श लेने के लिए बाध्य न था। परन्तु चूंकि अकबर बड़ा ही गुणग्राही सम्राट था अतएव वह अपने मित्रों तथा शुभचिन्तकों की परामर्श का बड़ा आदर करता था।

इसी से स्मिथ महोदय ने लिखा है, "उसके मन्त्री प्रायः उसके शिष्य होते थे गुरु नहीं।"[1]

(३) केन्द्रीय शासन के पदाधिकार—यद्यपि सम्राट का कोई मन्त्रिमण्डल न था परन्तु शासन को सुचारु तथा व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए केन्द्रीय शासन कई विभागों में बाँट दिया गया था और प्रत्येक विभाग योग्य तथा कुशल पदाधि-

Scanned with CamScanner

कारियों के अनुशासन में रख दिया गया था। केन्द्रीय विभाग के निम्नलिखित पदाधिकारी थे :—

(क) वकील—सम्राट का प्रधान-मन्त्री "वकील" कहलाता था। साम्राज्य में सम्राट के बाद उसका सबसे बड़ा स्थान होता था। वह किसी विभाग-विशेष का प्रधान नहीं होता था वरन् सभी विभागों के सुशासन के लिए उत्तरदायी होता था। प्रान्तीय शासन सीधे प्रधान-मन्त्री के अधीन रहता था।

(ख) दीवान—राज-कोष विभाग का प्रधान "दीवान" कहलाता था। वह माल-मन्त्री होता था और उसका स्थान प्रधान-मन्त्री के नीचे होता था। वह राज-कोष तथा साम्राज्य की आय-व्यय के लिए उत्तरदायी था। सम्राट की आर्थिक नीति का संचालन वही करता था।

(ग) खान-ए-सामान—राजकीय गोदाम का मन्त्री "खान-ए-सामान" कहलाता था। उसका मुख्य कर्त्तव्य राज रसोई तथा सम्राट की अन्य गृह-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। शाही परिवार के सम्पूर्ण व्यय का लेखा रखना इसी का काम था। सम्राट के सभी नौकर-चाकर उसी के अनुशासन में कार्य करते थे।

(घ) बख्शी—सैन्य विभाग का प्रधान "बख्शी" कहलाता था। इसका प्रधान कर्त्तव्य था कि वह सेना के वेतन-वितरण की उचित व्यवस्था करे। सेना का वेतन निश्चित करना तथा सेना को अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित रखना उनका कर्तव्य था।

(ङ) सदर-ए-सुदूर—दान विभाग का अध्यक्ष "सदर-ए-सुदूर" कहलाता था। साधु महात्माओं अथवा विद्वानों की सहायता के लिए सम्राट अथवा राज-कुमारों द्वारा जो भूमि दी जाती थी उसका समुचित प्रबन्ध करना, रमजान के अवसर पर तथा अन्य अवसरों पर सम्राट जो धन गरीबों को दान में दिया करता था उसके समुचित वितरण की व्यवस्था करना इस पदाधिकारी का कर्तव्य होता था।

(च) मोहतासिब—आचरण-निरीक्षण-विभाग का प्रधान "मोहतासिब" कहलाता था। उसका प्रधान कार्य यह था कि वह देखे कि जनता राजकीय नियमों का पालन करती है अथवा नहीं। वह इस बात की भी देख-भाल करता था कि मुसलमान पैगम्बर के आदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत करें और अपने आचरण को शुद्ध रक्खें। मद्य-पान, जुआ आदि दुर्व्यसनों से लोगों को मुक्त रखना उसका कर्त्तव्य था।

(छ) मीर आतिश—तोपखाने का प्रधान "मीर आतिश" कहलाता था। उसे "दरोगा-ए-तोपखाना" भी कहते थे। तोपखाने की पूरी व्यवस्था करना उसका कर्त्तव्य होता था।

(ज) काजी-उल-कुजात—न्याय-विभाग का प्रधान "काजी-उल-कुजात" कहलाता था। वह काजियों का प्रधान होता था और स्थानीय काजियों की नियुक्ति

Scanned with CamScanner

वही करता था। न्याय की समुचित व्यवस्था करना उसका प्रधान कर्तव्य होता था।

(झ) दारोगा-ए-डाक-चौकी—गुप्तचर तथा डाक-विभाग का प्रधान "दारोगा-ए-डाक-चौकी" कहलाता था। इसका प्रधान कार्य डाक भेजना और प्राप्त करना तथा गुप्त-रीति से इस बात का पता लगाना था कि राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में क्या हो रहा है।

उपर्युक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त मुद्रा विभाग का भी एक दारोगा होता था जो टकसाल की समुचित व्यवस्था करता था। इन विभागों के अतिरिक्त बहुत से कारखाने भी होते थे जिनके निरीक्षण के लिए अलग-अलग दारोगा होते थे।

प्रान्तीय शासन—शासन की सुविधा के लिए सम्राट ने अपने राज्य को भिन्न-भिन्न प्रान्तों में विभक्त कर दिया था। प्रान्तों का शासन केन्द्रीय सरकार के निरीक्षण तथा नियन्त्रण में कर दिया गया था। सर जदुनाथ सरकार के शब्दों में "मुगल साम्राज्य के प्रान्तों में जो शासन-व्यवस्था थी, वह केन्द्रीय सरकार की प्रति-रूप ही थी।"[1] प्रान्तों के पदाधिकारी निम्नांकित थे—

(१) सूबेदार—प्रान्तीय शासन का प्रधान सूबेदार होता था। प्रान्तीय सेना तथा शासन दोनों पर उसका समान रूप से अधिकार होता था। वह अपना दरबार करता था परन्तु न तो वह झरोखा में बैठ सकता था और न बिना सम्राट की स्वीकृति के युद्ध की घोषणा अथवा सन्धि कर सकता था। वह न्याय तथा सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। वह काजी तथा मीर आदिल के फैसलों की अपीलें सुनता था। प्रान्तीय सेनाओं को वही सेनापति होता था और उनकी सुव्यवस्था करना उसी का कर्तव्य होता था। थोड़े से पदाधिकारियों को छोड़ कर शेष सभी प्रान्तीय कर्मचारियों को वही नियुक्त करता था और उन्हें वह पदच्युत भी करता था। परन्तु वह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और न किसी को प्राण-दण्ड दे सकता था। प्रान्त की शांति तथा सुव्यवस्था के लिये वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता था। लगान के वसूल करने में उसे सहायता देनी पड़ती थी।

(२) दीवान—प्रान्त का दूसरा महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी दीवान होता था। वास्तव में वह सूबेदार का प्रतिद्वन्द्वी होता था और वे एक-दूसरे पर कड़ी दृष्टि रखते थे। दीवान की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती और उसी के प्रति वह उत्तरदायी होता था। दीवान प्रान्त का माल-मन्त्री होता था। यह आय-व्यय तथा माल-सम्बन्धी समी विषयों का निरीक्षण करता था तथा उस पर नियन्त्रण रखता था। इनसे सम्बन्धित झगड़ों का निर्णय वही करता था। कृषि की उन्नति पर दीवान को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता था। अपने विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनका स्थानान्तरण उसी के हाथ में रहता था।

(३) सदर—इस पदाधिकारी की नियुक्ति भी केन्द्रीय सरकार द्वारा होती

Scanned with CamScanner

थी। उच्च-कोटि के विद्वान् तथा अत्यन्त पवित्र आचरण के लोग इस पद पर नियुक्त किये जाते थे। वह बिना केन्द्रीय सरकार की आज्ञा के किसी को भूमि अथवा पेन्शन नहीं दे सकता था। काजी तथा मीर आदिल उसकी अधीनता में कार्य करते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे।

(४) **आमिल**—इस पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। आमिल का प्रधान कार्य लगान वसूल करना होता था। प्रान्त में शांति स्थापित करने में भी वह योग देता था। कृषि तथा व्यापार की सुव्यवस्था उसे करनी पड़ती थी। कारकुन, मुकद्दम तथा पटवारी के कागजों का निरीक्षण भी उसे करना पड़ता था।

(५) **बितिक्ची**—यह पदाधिकारी आमिल का समकक्षी होता था और उसकी शक्ति पर नियन्त्रण रखता था जो व्यक्ति सुन्दर लेखन तथा हिसाब-किताब में बड़ा कुशल होता था वही इस पद पर नियुक्त किया जाता था। उसे कानूनगो के कार्यों का निरीक्षण करना पड़ता था। प्रत्येक ऋतु की लगान का हिसाब उसे रखना पड़ता था और वार्षिक लगान का विवरण केन्द्रीय सरकार के पास भेजना पड़ता था।

(६) **पोतदार**—यह पदाधिकारी किसानों से लगान प्राप्त करता था और राजकोष को सुरक्षित रखता था। लगान का रुपया वह खजाने में जमा करता था। वह हिसाब-किताब का रजिस्टर रखता था जिससे कोई भूल-चूक न हो।

(७) **फौजदार**—सूबेदार के नीचे फौजदार प्रान्त का सबसे बड़ा सैनिक अफसर था। उसकी नियुक्ति सूबेदार ही करता था। प्रत्येक सूबे में कई फौजदार होते थे। प्रत्येक सूबे के फौजदार के नियन्त्रण में कई परगने होते थे। उसका मुख्य कार्य प्रान्त तथा शासन की सुव्यवस्था में सूबेदार को सहायता पहुँचाना होता था। सूबेदार को हर प्रकार की सहायता पहुँचाना उसका कर्तव्य होता था।

(८) **कोतवाल**—जिस प्रकार राजधानी में कोतवाल होते थे। उसी प्रकार प्रान्तीय नगरों में भी कोतवाल होते थे। वह प्रधानतः नगर का पुलिस अफर होता था। नगरों में शांति तथा सुव्यवस्था रखना उसका प्रधान कर्त्तव्य होता था। कोतवाल का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता था। अपराधियों का पता लगाना चोरी तथा डाके को रोकना, बाट तथा तौल का निरीक्षण करना आदि कोतवाल के प्रधान कर्त्तव्य होते थे।

(९) **सूचना वाहक**—इन्हें चार भागों में विभक्त किया गया था अर्थात् वाक-ए-नवीस, सवानीह निगार, खुफिया नवीस तथा हरकारह। वाक-ए-नवीसों का मुख्य कार्य प्रान्त की सब बातों की सूचना केन्द्रीय सरकार के पास भेजना होता था। सवानीह निगार की नियुक्ति इस ध्येय से की जाती थी कि वाक-ए-नवीस सच्ची सूचनाएँ भेजे। खुफिया नवीस गुप्तचर का काम करता था। हरकारह सूचना ले जाने का काम करता था। यह चारों प्रकार के सूचना-वाहक दारोगा के नियन्त्रण में कार्य करते थे।

Scanned with CamScanner

(१०) लगान संग्रहीता—लगान के वसूल करने का काम करोड़ी को सौंपा गया था। वह लगान वसूल कर पोतदार के पास भेज देता था। अमीन तथा कानूनगो लगान वसूल करने के अन्य कर्मचारी थे। अमीन सरकारी लगान निश्चित करता था और कृषि की समुचित व्यवस्था करता था। कानूनगो परगना अफसर होता था। भूमि तथा लगान के ब्यौरे का रजिस्टर कानूनगो को रखना पड़ता था। गाँवों में पटवारी तथा मुकद्दम होते थे।

स्थानीय शासन—स्थानीय शासन के अन्तर्गत सरकार, महाल तथा गाँव का शासन आता है। अब इनका अलग-अलग संक्षिप्त परिचय दिया जायगा—

(१) सरकार का शासन—शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक प्रान्त कई "सरकार" अर्थात् जिलों में विभक्त था। "सरकार" का शासन फौजदार के नियन्त्रण में रहता था जो शान्ति तथा सुव्यवस्था स्थापित करने में सूबेदार की सहायता किया करता था। सरकार का दूसरा प्रसिद्ध अफसर कोतवाल होता था। कोतवाल के कार्यों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। बितिक्ची सरकार का तीसरा महत्त्वपूर्ण अफसर होता था। उसका प्रधान कार्य कानूनगो के कार्यों का निरीक्षण करना होता था पोतदार सरकार का चौथा पदाधिकारी होता था। राज-कोष उसी के निरीक्षण में रहता था। वाकेनवीस सूचनाएँ एकत्रित करता था।

(२) महाल का शासक—प्रत्येक सरकार शासन की सुविधा के लिए कई महाल अर्थात् परगनों में विभक्त रहता था। परगने के शासन का भार शिकदार आमिल तथा कानूनगो पर रहता था। इन अफसरों के कार्यों का उल्लेख पहले किया जा चुका है।

(३) गाँव का शासन—प्रत्येक महाल शासन की सुविधा के लिए कई गाँवों में विभक्त रहता था। गाँव दो प्रकार के होते थे अर्थात् जमींदारी तथा रैयतवारी। जमींदारी के गाँवो में किसानों तथा सरकार के बीच में जमींदार होता था और वह किसानों से लगान वसूल कर सरकार को दे देता था। परन्तु रैयतवारी गाँवों में किसानों का सीधा सम्पर्क सरकार से होता था और सरकार अपने कर्मचारियों द्वारा लगान किसानों से वसूल करती थी। गाँव का प्रधान अफसर मुकद्दम कहलाता था। मुकद्दम का प्रधान कर्त्तव्य सरकारी कर्मचारियों को लगान वसूल करने में सहायता पहुँचाना होता था। गाँवों में शांति तथा सुव्यवस्था रखना भी उसका कर्त्तव्य होता था। गाँव का दूसरा प्रमुख कर्मचारी पटवारी होता था गाँव के हिसाब-किताब, भूमि, लगान आदि का रजिस्टर उसे रखना पड़ता था।

Scanned with CamScanner